न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 53/2021

वादीगण :-

1. शंकरलाल
2. निम्बाराम
3. भागीरथ पिसरान भैराराम
4. मोहनलाल
5. ओमप्रकाश पिसरान झूंझारराम जातिगण राईका निवासीगण चैनपुरा की ढाणी बिलाडा तहसल बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमाराम
2. दौलाराम
3. टीलाराम पिसरान केराराम
4. जिमनाई पत्नी केराराम (फौत) जिसमें विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 01, 02, 03 पहले से मौजूद है
5. दुर्गाराम
6. कानाराम
7. अमराराम
8. भोलाराम पिसरान गुमनाराम
9. हिमताराम फौत के कायम मुकाम
   9/1 भवरलाल पुत्र स्व. हिमताराम
   9/2 श्रवण पुत्र स्व. हिमतराम
   9/3 कमली पुत्री स्व. हिमताराम
10. रतनाराम
11. रणवीरसिंह
12. रूपाराम
13. डगमाराम
14. मघाराम पिसरान खरताराम
15. जोगाराम पुत्र रामलाल फौत जिसके पहले से प्रतिवादीगण सं. 16 से 20 मौजूद है।
16. मोतीराम
17. मोहनराम
18. मानाराम
19. गोपाराम
20. किशनाराम पिसरान स्वर्गीय जोगाराम सभी जातियान सीरवी निवासीगण चान्दावतों का नवौडा, बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा
22. समुदेवी पुत्री भैराराम फौत वारिस प्रतिवादी सं. 23 व 24
23. पमूदेवी
24. पुष्पादेवी पुत्रिया भैराराम जातियान राईका

24ए. उदाराम दत्तक पुत्र पुनाराम जाति राईका सभी निवासीगण चान्दावतों का नवौडा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

उपस्थिति-वादीगण – श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 से 8, 10,11,13, 14, 16, 17, 19, 20– श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 4, 9, 12, 15, 18, 22 से 24ए के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 21 सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः– 07/11/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की काश्त कब्जा सुदा भूमि खेत खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ सरहद मौजा चक नं. 3 बिलाडा में आई हुई है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 22, 23, 24 समुदेवी, पमूदेवी, पुष्पादेवी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे को इस दावे का भाग माना जावे। खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के पडौस निम्न प्रकार है उत्तर में खाली जगह है। दक्षिण में खसरा नंबर 4950/2 की खातेदारी भूमि है। पूर्व में खसरा नंबर 4950/7 अनारारम सीरवी की खातेदारी की भूमि है। पश्चिम में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 4965 है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 का वर्तमान में कब्जा है तथा उससे पूर्व पिछले 100 वर्षो से इनका व इनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है जिसकी वजह से मौके पर रास्ता आज दिन तक बन्द है। रास्ते में पश्चिम में प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4825 आई हुई है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 जिनकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4825 गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नंबर 4955 के पश्चिम में आई हुई है। उक्त सभी प्रतिवादीगण का वर्तमान में उक्त रास्ते पर अतिक्रमण है तथा इससे पूर्व इनके पूर्वजों का इस रास्ते पर अतिक्रमण था वादीगण ने इस रास्ते को कभी खुला नहीं देखा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 प्रतिवादीगण सं. 21 से मिलावट करके रास्ता वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि से निकालना चाहते है। जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता तरमीम किया हुआ है व प्रतिवादीगण की भूमि में मिला हुआ है जो मौके पर मिला हुआ है किन्तु रेकर्ड में अलग है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 पिढीयों से 100 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। खसरा नंबर 4825 की पश्चिमी माठ शुरू से ही विवादग्रस्त रही है। कारण कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 का इस माठ के पश्चिम में स्थित खसरा नंबर 4903, 4902, 4890की जरीब भूमि को खसरा नंबर 4825 में मिलाकर के उक्त माठ बना दी गई है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 अपनी विस्तार वादीनिति को अमली जामा पहिनाते हुऐ वादीगण की खातेदारी की काश्त कब्जा सुदा भूमि खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को हडपना चाहते है तथा इसी क्रम में प्रतिवादीगण सं. 1से 20 व प्रतिवादीगण सं. 21 ने आपस में दुर्भिसंधी करके वादीगण को धमकी दी कि वो वादीगण को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तथा खसरा नंबर 4965 की जगर वादग्रस्त भूमि में रास्ता निकाल देंगे जिन्हें रोकने के लिए वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 यह वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी का वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना पड रहा है। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। तथा अगर वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी कमीपूर्ति रूपये पैसों में नहीं की जा सकेगी।

अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण सं. 22, 23, 24 का नाम खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में से इनका नाम निकाला जावे। तथा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में से अतिक्रमण करने से रोका जावे।

अन्त में निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 वादीगण को वादग्रस्त भूमि जो कि चक नं. 3 बिलाडा तहसील बिलाडा खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण कोई अतिक्रमण नहीं करे तथा न ही भूमि अवाप्त किये बिना कोई मन मर्जी से रास्ता वगेरा ही निकाले। तथा न ही अपने हाली, एजेन्ट, नौकर, मजदूर, परिवार के रिश्तेदार, अधिनस्थ वगैराह से ही निकलवावे। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जावे। वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 22,23,24 का नाम निकाला जावे तथा वादग्रस्त भूमि को वादीगण की खातेदारी की घोषित किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 9, 12, 15, 18, 22 से 24ए की तरफ से स्वयं या उनके प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 4, 9, 12, 15, 18, 22 से 24ए के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 से 8, 10,11,13, 14, 16, 17, 19, 20 की ओर से श्री भागीरथ सिंह सोढा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी अधिवक्ता का जवाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादी सं. 21 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र शंकरलाल पुत्र भैराराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1– जमाबंदी संवत् 2052 से 2055, प्रदर्श 2– खसरा नंबर 4825 ग्राम बिलाडा चक सं. 3, प्रदर्श 3– जमाबंदी खसरा नंबर नंबर 4965 ग्राम बिलाडा चक सं. 3 आदि पेश किये गये।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। वादीगण ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण सं. 22, 23, 24 की खातेदारी हटाने तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण के हस्तगत प्रकरण में फार्म नं. 3 साथ संलग्न राजस्व जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 के खसरा नंबर 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में वादी सं. 1 से 3 के पिता भैराराम पुत्र लाबूराम जाति राईका के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार भैराराम के फौत होने पर भैराराम के स्थान पर जरिय नामा. सं. 6109 दिनांक 01.3.2004 को शंकरलाल, निम्बाराम, भागीरथ, उदाराम पिसरान भैराराम, समुदेवी, पमुदेवी, पुष्पादेवी पुत्री भैराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज हुआ। वर्तमान राजस्व जमाबंदी संवत् 2076–79 के खसरा नंबर 4950/1 में भी खातेदार भैराराम के वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

तहत वादपत्र पेश किया किन्तु वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अर्न्तगत धारा 88 स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4950/1 में प्रतिवादीगण सं. 22, 23, 24 के नाम हटवाना चाहते है जोकि वादीगण सं. 1 से 3 की सगी बहिने है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक संपति में पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अतः वादीगण द्वारा अपने हस्तगत प्रकरण के पद सं. 2 में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4950/1 के पडौस दर्शाए गए जो निम्नानुसार है वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4950/1 के उत्तर में खाली जगह है। दक्षिण में खसरा नंबर 4950/2 की खातेदारी भूमि है। पूर्व में खसरा नंबर 4950/7 अनाराम सीरवी की खातेदारी की भूमि है। पश्चिम में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 4965 है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4825 वादीगण की वादग्रस्त आराजी के चिपते हुए नहीं है तो प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/12/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
ब इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
बनाम
वादीगण :- प्रतिवादीगण :-
शंकरलाल पेमाराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :- 53/2011

निर्णय

दिनांक :- 07/11/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 से 8, 10,11,13, 14, 16, 17, 19, 20 की ओर श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4, 9, 12, 15, 18, 22 से 24ए के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 21 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा